

क्रमांक-3456/2018/सिंगरौली/स.प्र.0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (रीवा सर्किट कोर्ट) रीवा



- 1- कृष्ण केशव पिता रामखेलावन विश्वकर्मा
- 2- श्रीराम पिता रामखेलावन विश्वकर्मा
- 3- लंका प्रसादपिता रामजी वैस

सभी निवासी ग्राम डगा तह0 देवसर, थाना बरगवॉ, जिला सिंगरौली

म0प्र0

आवेदकगण

बनाम्

बद्री नारायण पिता दुखीलाल वैस

उमेश पिता दुखीलाल वैस

3- बृजेन्द्र कुमार पिता दुखीलाल वैस

4- सतेन्द्र कुमार पिता दुखीलाल वैस

5- वंशमणि

सभी निवासी ग्राम कनई थाना बरगवॉ, तह0 देवसर जिला सिंगरौली

म0प्र0

अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान्
राजस्व निरीक्षक मण्डल बरगवॉ तह0 देवसर
जिला सिंगरौली के प्र0क0 41/अ
-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 30.6.14
अंतर्गत धारा 50 एम0पी0एल0आर0सी0 1959

मान्यवर

प्रकरण के तथ्य


यह कि अनावेदकगण द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 1623/3घ एवं
1624/2/ख/3 स्थित ग्राम कनई तह0 देवसर, की भूमि के

(Handwritten signature)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-3456 सिंगरोली/18 जिला सिंगरोली

कृष्ण केशव विश्वकर्मा व अन्य विरुद्ध बडी नारायण वैस व अन्य

(1)	(2)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अजय कुमार सोनी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार / नयब तहसीलदार / राजस्व निरीक्षक, तहसील <u>देवसर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>41/112/13/14</u> में पारित आदेश दिनांक <u>30-6-14</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला <u>सिंगरोली</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>6-3-19</u> को कलेक्टर <u>सिंगरोली</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>

